न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 15/2019

1. बृजलाल पुत्र रामफूल
2. शेरसिंह पुत्र गिर्राज
3. भूरसिंह पुत्र गिर्राज
4. गुडडी पुत्री गिर्राज
5. रिसाल पुत्री गिर्राज
6. मल्लो मत्नी गिर्राज
7. रामकेश पुत्र जौहरी
8. हरकेश पुत्र जौहरी
9. छाजू पुत्र जौहरी, जातियान मीना, निवासीयान लोंगटीपुरा (सलेमपुर), तहसील सपोटरा जिला करौली।

अपीलांटान

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र मूला
2. लक्खीलाल पुत्र मूला
3. जगदीश पुत्र मूला
4. केशर बेवा मूला
5. मनोज पुत्र रामकेश
6. राजकुमार पुत्र हरकेश
7. भरतबाई पत्नी रामकेश
8. रामेश्वरी पत्नी हरकेश, जातियान मीना, निवासीयान लोंगटीपुरा (सलेमपुर), तहसील सपोटरा, जिला करौली।

रेस्पोडेन्टान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा
मु0न0 24/2013 निर्णय दिनांक 09.01.2019)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री श्याम प्रकाश गर्ग
2. रेस्पोडेटान की और से कोई उपस्थित नही

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक 12.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मु0नं0 24/2013 निर्णय दिनांक 09.01.2019 के विरूद्व पेश की गई है । अपील के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 989 रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1052 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1060 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है जो कि प्रार्थीगण की सैपरेट खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई किसी

Scanned by CamScanner

प्रकार का लेना देना नहीं है। अप्रार्थीगण पैसे वाले लट्ठ वाले सहजोर व्यक्ति है। दिनांक 12.08.2013 को प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1060 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा में से प्रार्थीगण ने आवासीय मकानों का निर्माण करवा रखा है जिसमें अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी पर कब्जा करके मकानों पर भी कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है इसका नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी मकान को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से हाथ जोडकर कहा कि हमारी खातेदारी व मकानों को आप लोग क्यों हडपना चाहते हो तो अप्रार्थीगण ने कहा कि उक्त आराजी व मकान पर हम कब्जा करेगे, तब प्रार्थी/रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात की बाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए ना ही उनकी ओर से किसी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस अपीलांट अभिभाषक की सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील कानून व तथ्यो के विपरीत होने से मंसूखा होने योग्य है। अपीलांट नम्बर 1,8,9 व रेस्पो0 नम्बर 5 ता 8 की तामील नियमानुसार नहीं हुई है फिर भी हमे पाबंद करने में भूल की है। सायलान रेस्पो0 नं0 1 ता. 4 ने दावा व दर0 212 आर.टी.एक्ट. शुद्ध हस्त पेश नहीं है। विवादित जमीन खसरा नम्बर 1060 पर हमारा व हमारे बुजुर्ग रामफूल का हमेशा से कब्जा रहा है। सम्वत् 2016 से 2019 की जमाबंदी व गिरदावरी की नकल पेश की गई है जिस पर अदालत मातहत ने गौर नहीं किया है। विवादित आराजी सिर्फ जौहरी व बृजलाल के हिस्से की मौके पर बृजलाल व जौहरी के भी हिस्से हो रहे है। पक्के मकान लगभग पचासों साल से बने हुए है, हमारा कब्जा मुखालफाना है। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट व जवाब से विवाद सिर्फ 1060 खसरा नम्बर पर हैं फिर भी हमे अन्य नम्बर पर पाबंद करने की अदालत मातहत ने भूल की है। अदालत मातहत ने प्रथम दृष्टया मामला सायलान/रेस्पो0 के पक्ष में मानने की भूल की है। सायलान/रेस्पो0 1 ता 4 ने दावा में हमारे कब्जे की मकानीयत को अपनी रिहायश की मकानीयत बता कर हमारे द्वारा उन्हें बेदखल कर कब्जा करने का अभिवचन दर्ज किया है जिसके संबंध में उन्होने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है फिर भी अदालत मातहत ने हमे पाबंद करने में भूल की है। अदालत मातहत द्वारा स्थिति यथावत का आदेश दिये है। नियमानुसार स्थिति यथावत का आदेश दिया जाना गलत है।

Scanned by CamScanner

स्पेसीपिक आदेश दिया जाना चाहिए था। स्पेसिपिक आदेश नहीं होने की वजह से न्यायलान/रेस्पो0 आदेश की आड में हमे बेदखल करना चाहते है यदि उन्होने बेदखल किया तो हमे बडी हक तलफी होगी जिसे जरे नकद पूरा नहीं किया जा सकता है। रेस्पो0 का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन उसके पक्ष मे नहीं है ना अपूर्णीय क्षति रेस्पो0 को हो रही है। सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति भी अपीलांट को हो रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। पत्रावली को अधोपान्त अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 वको ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा के खतौनी संख्या 340 मे ख0न0 1060 लक्खीलाल, श्यामलाल पिसरान मूला केसर बेवा मूला हिस्सा 3/4 राहिन बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सलेमपुर मूर्त जगदीश पुत्र मूला 1/4 कौम मीना सा0देह खातेदार के नाम अंकित है। जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 वाके ग्राम सलेमपुर के खतौनी संख्या 255 पर ख0न0 1060 मूला पुत्र सोपाल कौम मीना सा0देह शि.का. रामफूल पुत्र जसराम मीना अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकारो क मध्य वाद विचाराधीन है। जिसमे अधिकारो का तय होना शेष है, तब तक मौका की यथास्थिति कायम रखने का आदेश देकर विचारण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटी नही की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि अनुरूप है जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सपोटरा के मु0न0 24/2013 निर्णय दिनांक 09.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

12-2-20

(बी0एल0 रमन)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.26 14:56:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: